जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Jammu
राया – सूचानी (बागला), जिला सांबा – 181143, जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर)
Rahya - Suchani (Bagla), District: Samba – 181143, Jammu (J&K)

संख्या: CUJ/RW/Gen.Corrsp/2025/180/674

16 दिसंबर, 2025

NOTIFICATION NO./अधिसूचना संख्या- 93 / 2025

विषय: **पीएच.डी. शोधार्थियों के लिए छठे वर्ष के पश्चात पुनः-पंजीकरण (शैक्षणिक विस्तार) तथा छठे वर्ष के उपरांत वार्षिक/सत्र शुल्क के संबंध में अधिसूचना।**

Subject: **Notification regarding Re-Registration (Academic Extension) after 6th Year and Annual/Semester Fee after 6th Year onwards for Ph.D. Scholars.**

छठे वर्ष के उपरांत पुनः-पंजीकरण तथा तत्पश्चात लागू वार्षिक/सत्र शुल्क से संबंधित नियमों की समीक्षा हेतु गठित समिति की अनुशंसाओं के अनुपालन में, तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति उपरांत, **पुनः-पंजीकरण (शैक्षणिक विस्तार) के लिए दिशा-निर्देशों** को अधिसूचित किया जाता है। विस्तृत दिशा-निर्देश **परिशिष्ट-I** के रूप में संलग्न हैं।

In pursuance of the recommendations of the Committee constituted to examine the rules pertaining to Re-Registration after the 6th year and the applicable annual/semester fee thereafter, and upon approval of the Competent Authority, **the Guidelines for Re-Registration (Academic Extension)** are hereby notified. The detailed guidelines are enclosed as **Annexure–I.**

2. इसके अतिरिक्त, **प्रारूप-IV (डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के लिए पुनः-पंजीकरण हेतु आवेदन)** संदर्भ एवं आवश्यक करवाई हेतु संलग्न है।

Further, the **Proforma–IV (Application for Re-Registration for Doctor of Philosophy)** is enclosed for reference and necessary action.

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of Competent Authority.

16/12/25

प्रो॰(डॉ.) यशवंत सिंह
कुलसचिव
ईमेल: registrar@cujammu.ac.in
दूरभाष: 8082197957

अनुलग्नक / Encls:
संलग्नक-I एवं संलग्नक-II / Annexure-I and Annexure-II

प्रतिलिपि:

1. सभी अधिष्ठाता / सह-अधिष्ठाता / All Deans / Asscociate Deans
2. सभी विभागाध्यक्ष / निदेशक / All Heads / Directors
3. परीक्षा नियंत्रक / Controller of Examinations
4. अकादमिक शाखा / Academics Branch
5. माननीय कुलपति के निजी सचिव / PS to Hon'ble Vice Chancellor
6. कुलसचिव के निजी सचिव/वित्त शाखा / PS to Registrar/Finance Officer
7. आईसीटी सेल - विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए / ICT Cell - for uploading on the University Website

जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Jammu
राया – सूचानी (बागला), जिला सांबा – 181143, जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर)
Rahya - Suchani (Bagla), District: Samba – 181143, Jammu (J&K)

Annexure-I

Guidelines for Re-Registration (Academic Extension) after 6th Year and Fee Structure

(i) Ph.D. Programme shall be for a minimum duration of three (3) years, including course work, and a maximum duration of six (6) years from the date of admission to the Ph.D. programme.

(ii) Extension of maximum of an additional two (2) years can be given through a process of re-registration; provided, however, that the total period for completion of a Ph.D. programme should not exceed eight (8) years from the date of admission in the Ph.D. Programme, provided further that, female Ph.D. scholars and Persons with Disabilities (having more than 40% disability) may be allowed an additional extension of two (2) years; however, the total period for completion of a Ph.D. programme in such cases should not exceed ten (10) years from the date of admission in the Ph.D. programme.

(iii) Female Ph.D. Scholars may be provided Maternity Leave/Child Care Leave for upto 240 days in the entire duration of the Ph.D. programme.

(iv) No academic extension beyond the duration mentioned in (i) and (ii) above will be allowed under any circumstances.

(v) Scholars, who could not submit their thesis within 6 years, have to seek re-registration (academic extension) for additional duration (maximum period of 2 years) by submitting an application form **(Proforma-IV)** at least two months before completion of six (6) years duly endorsed by the Supervisor and Head of the Department with a valid reason for re-registration. Further, female / PwD scholars (with 40% disability) have to seek further extension, immediately after the lapse of first two (2) years (Maximum additional duration of 2 years); Re-registration (academic extension) request should be routed through proper channel.

(vi) If no-registration (academic extension) is sought by the student as mentioned at (v) above, the admission stands cancelled without any notice.

(vii) Scholars granted re-registration (academic extension) shall have to submit the re-registration fee of Rs. 5,000/- .

(viii) Students who sought re-registration (academic extension) should complete all the formalities/process and submission of thesis should be within the duration of 8 years and within 10 years in case of female / PwD scholars (with 40% disability) from the date of admission.

Cont/-

जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Jammu
राया – सूचानी (बागला), जिला सांबा – 181143, जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर)
Rahya - Suchani **(Bagla)**, District: **Samba** – 181143, Jammu **(J&K)**

(ix) There will not be any entitlement for fellowship/scholarship (University UGC-Non-Net fellowship) during the leave period and additional period / duration as per extant rules.

(x) The annual/semester fee applicable after re-registration shall be charged as per the University's fee notifications issued from time to time.

16/12/25

प्रो०(डॉ.) यशवंत सिंह
कुलसचिव
ईमेल: registrar@cujammu.ac.in
दूरभाष: 8082197957

जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Jammu
राया – सूचानी (बागला), जिला सांबा – 181143, जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर)
Rahya - Suchani (Bagla), District: Samba – 181143, Jammu (J&K)

संलग्नक-I

छठे वर्ष के बाद पुन: पंजीकरण (शैक्षणिक विस्तार) के लिए दिशानिर्देश और शुल्क संरचना

(i) पीएच.डी. पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि तीन (3) वर्ष होगी, जिसमें कोर्सवर्क शामिल है, और अधिकतम अवधि छह (6) वर्ष होगी, जो पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि से गणना की जाएगी।

(ii) अधिकतम दो (2) वर्षों की अतिरिक्त अवधि पुन: पंजीकरण (Re-Registration) की प्रक्रिया के माध्यम से दी जा सकती है; तथापि, पीएच.डी. पाठ्यक्रम को पूरा करने की कुल अवधि प्रवेश की तारीख से आठ (8) वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। साथ ही, महिला पीएच.डी. शोधार्थियों और विकलांग व्यक्तियों (40% से अधिक विकलांगता वाले) को अतिरिक्त दो (2) वर्षों का विस्तार दिया जा सकता है; इन मामलों में कुल अवधि दस (10) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) महिला पीएच.डी. शोधार्थियों को संपूर्ण पीएच.डी. पाठ्यक्रम के दौरान अधिकतम 240 दिन की मातृत्व अवकाश / बाल देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

(iv) उपरोक्त (i) और (ii) में उल्लिखित अवधि से अधिक कोई अकादमिक विस्तार किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जाएगा।

(v) जिन शोधार्थियों ने 6 वर्षों के भीतर अपना शोध प्रबंध जमा नहीं किया है, उन्हें अतिरिक्त अवधि (अधिकतम 2 वर्ष) के लिए पुन: पंजीकरण (अकादमिक विस्तार) के लिए आवेदन फॉर्म (Proforma-IV) जमा करना होगा, जो छह (6) वर्षों की अवधि समाप्त होने से कम से कम दो महीने पहले उनके पर्यवेक्षक और विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, और पुन: पंजीकरण के लिए मान्य कारण प्रस्तुत करना आवश्यक है। महिला / अन्य रुप से सक्षम शोधार्थियों (40% विकलांगता वाले) को पहले दो (2) वर्षों की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद आगे के विस्तार के लिए आवेदन करना होगा (अधिकतम अतिरिक्त अवधि 2 वर्ष); पुन: पंजीकरण (अकादमिक विस्तार) अनुरोध उचित चैनल के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।

(vi) यदि छात्र द्वारा उपरोक्त (v) में वर्णित अकादमिक विस्तार हेतु पुन: पंजीकरण नहीं किया जाता है, तो प्रवेश बिना किसी सूचना के रद्द माना जाएगा।

(vii) जिन्हें पुन: पंजीकरण (अकादमिक विस्तार) दिया गया है, उन्हें पुन: पंजीकरण शुल्क 5,000/- रुपये जमा करना होगा।

Contd/-

(viii) जिन्होंने पुन: पंजीकरण (अकादमिक विस्तार) के लिए आवेदन किया है, उन्हें सभी औपचारिकताएँ / प्रक्रियाएँ पूरी करनी होंगी और शोध प्रबंध जमा करने की अंतिम अवधि प्रवेश की तारीख से 8 वर्षों के भीतर और महिला / अन्य रुप से सक्षम शोधार्थियों (40% विकलांगता वाले) के मामले में 10 वर्षों के भीतर होगी।

(ix) अवकाश अवधि और अतिरिक्त अवधि / विस्तार के दौरान किसी भी प्रकार का छात्रवृति / फेलोशिप (विश्वविद्यालय यूजीसी-गैर-नेट छात्रावृति) का हकदार नहीं होगा।

(x) पुन: पंजीकरण के बाद लागू वार्षिक / सत्र शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए शुल्क अधिसूचनाओं के अनुसार लिया जाएगा।

16/12/25

प्रो०(डॉ.) यशवंत सिंह
कुलसचिव
ईमेल: registrar@cujammu.ac.in
दूरभाष: 8082197957